न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-310RAAJodhpur2022-120RTA223 Bagaduram ors Vs Goparam etc

01. बगडूराम पुत्र खमूराम

02. राजुराम पुत्र खमूराम

03. हरमलराम पुत्र खमूराम

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गोपाराम पुत्र प्रहलादराम
2. तुलछाराम पुत्र प्रहलादराम
3. लाखाराम पुत्र सांवताराम

   जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।
4. शांति पत्नी बाबुराम
5. चुकी बाई पुत्री बाबुराम
6. पुनाराम पुत्र बाबुराम
7. सुभाकराम पुत्र बाबुराम
8. महीराम पुत्र बाबुराम
9. छोटाराम पुत्र बाबुराम
10. जगमालराम पुत्र प्रहलादराम
11. भाखराम पुत्र प्रहलादराम
12. मंगली देवी पत्नी प्रहलादराम

    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।
13. तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।
14. अशोक पुत्र अर्जुनराम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15. जमना पत्नी अर्जुनराम,

16. प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम,

17. महीराम पुत्र अर्जुनराम,

18. हड़मानराम पुत्र अर्जुनराम,

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

19. धीमाराम पुत्र गुणेशाराम-फौत के कायम मुकाम

19.1. मंगनाराम पुत्र स्व0 धीमाराम

19/2 मानाराम पुत्र स्व0 धीमाराम

19/3 लादुराम पुत्र स्व0 धीमाराम

19/4 सुखराम पुत्र स्व0 धीमाराम

19/5 रामरखराम पुत्र स्व0 धीमाराम

19/6 बीरबलराम पुत्र धीमाराम-फौत के कायम मुकाम

19/6/1 श्रवण पुत्र स्व0 बीरबलराम

19/6/2 रमेश पुत्र स्व0 बीरबलराम

19/6/3 सुगनी पत्नी बीरबलराम

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

20. बुधाराम पुत्र कालुराम,

21. मंगनाराम पुत्र कालुराम,

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम सांवल नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

22. प्रतापाराम पुत्र राजुराम, जाति विश्नोई, निवासी-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

23. नैनाराम पुत्र बीरबलराम,

24. सुखराम पुत्र बीरबलराम,

25. हीरा पत्नी बीरबलराम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम सांवल नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

26. कोजाराम पुत्र रूपाराम-फौत के कायम मुकाम

26.1. मोहनराम पुत्र स्व0 कोजाराम

26.2. माणकराम पुत्र स्व0 कोजाराम

26.3. किसनाराम पुत्र स्व0 कोजाराम

26.4. जुगराज पुत्र स्व0 कोजाराम

26.5. पप्पुराम पुत्र स्व0 कोजाराम फौत के कायम मुकामः -

26.5.1. अभिषेक पुत्र स्व पप्पुराम

26.5.2.मांगीलाल पुत्र स्व. पप्पुराम

26.5.3.किरण पुत्री स्व. पप्पुराम

26.5.4.चिकु पुत्री स्व. पप्पुराम

26.5.5.निरमा पुत्री स्व. पप्पुराम

26.5.6.प्रेमी पत्नी स्व. पप्पुराम

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

27. अर्जुनराम पुत्र बरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी-ग्राम खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

28. प्रतापाराम पुत्र सुरजाराम,

29. बगडूराम पुत्र सुरजाराम,

30. मोहन राम पुत्र सुरजाराम,

31. सुखराम पुत्र सुरजाराम,

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज.।

32. खमुराम पुत्र लुम्बाराम,

33. गिरधारीराम पुत्र गुमानाराम,

34. गीता पत्नी भाखरराम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

35. बागाराम पुत्र बलवंताराम,

36. गोपाराम पुत्र प्रहलादराम,

37. घेवरराम पुत्र बाबुराम,

38. बलवंताराम पुत्र हरदासराम,

39. बाबुदेवी पत्नी गुमानाराम,

40. भजनाराम पुत्र हरदासराम,

41. मनोहरराम पुत्र हरचंदराम,

42. महिपाल पुत्र बाबुराम,

43. मानारामपुत्र हरदासराम,

44. मोहनराम पुत्र लुम्बाराम,

45. लाधुराम पुत्र लुम्बाराम,

46. शंकरलाल पुत्र गुमानाराम,

47. सोनाराम पुत्र पोकरराम,

जातियान् विश्नोई, निवासीगण-ग्राम मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राज./

48. ग्राम पंचायत मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 744/2020 गोपाराम व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 1 व 2

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 15 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 744/2020 गोपाराम व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री 25 अप्रैल 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 ने एक वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मूलराज के खसरा संख्या 823/14 रकबा 60 बीघा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा खसरा संख्या 823/15 रकबा 30 बीघा वादी संख्या 01 की खातेदारी की आई हुई है। खसरा संख्या 823/14 की भूमि में वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 12 का 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का 1/3 हिस्सा है, जिनका मौके पर अक्षय तृतीया को बंटवाडा हो चुका है तथा अलग अलग काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते है तथा खसरा संख्या 823/15 वादी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि है जिसका बंटवाडा मूल खसरा संख्या 823 में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 से अलग करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण की नियत खराब होने के कारण अब बंटवाडा नही करवाना चाहते है। अंत में वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण व प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

04 से 09 को नोटिस जारी किये गये, जिनकी ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ। अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलार्थीगण द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया कि खसरा संख्या 823/14 में हिस्से का वर्णन सही किया गया है लेकिन खसरा संख्या 823/15 अकेले वादी संख्या 01 की भूमि नही है उसमें आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का है। संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण वादी संख्या 01 के पक्ष में आवंटन करवाई गई थी जिसमें वादी संख्या 01 का आधा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का आधा हिस्सा है। मूल खसरा संख्या 823 के बट्टा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी/अपीलांट्स ने अंत में खसरा संख्या 823/15 में आधे हिस्से की घोषणा की मांग की तथा बंटवाडा का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 15.02.2022 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार स्वीकार कर बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश पारित किया। बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 25.04.2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया। अपीलांट्स द्वारा दोनों निर्णयों के विरुद्ध यह अपील संयुक्त रूप से प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से जवाब व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था, तब पत्रावली सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी के यहां लम्बित थी तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 19.12.2019 को लोहावट भेजी गयी, जिस पर दिनांक 01.01.2020 को पत्रावली दर्ज की गई तथा बिना नोटिस जारी दिनांक 14.01.2022 को अपीलांट्स के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो आदेश बिना तामिल के पारित किया गया होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अपना वाद साबित ही नही किया गया है न ही वाद में विवाद बिन्दु कायम किया गया है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय व डिकी पारित की गई है, जबकि विवादित बिन्दु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नही किया जा सकता हैं। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने के कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सके जिस कारण भी आलौच्य निर्णय व डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण व वादीगण के मध्य बंटवाडा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद हैं, इसलिये बंटवाडा का वाद चलने योग्य नही रह जाता है। वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम पर भी कोई आदेश पारित नही किया गया है जिससे भी साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया अपनाये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है, जबकि बिना साक्ष्य के वादीगण के वाद को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबित मान लिया गया है जिसमें प्रकिया की पालना किये बगैर निर्णय व डिकी पारित की है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय बिना रेकर्ड का अवलोकन किये ही पारित किया गया है। आदेशिका के अनुसार दिनांक 14.01.2022 को प्राथमिक डिकी व निर्णय पारित किया गया है जबकि निर्णय पर दिनांक 15.02.2022 को अधिकारी हस्ताक्षर व तारीख अंकित की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर आलौच्य निर्णय व डिकी पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब बंटवाडा प्रस्ताव विधि अनुसार तैयार नही किया गया है तथा न ही सक्षम अधिकारी के द्वारा तैयार किया गया है। बंटवाडा के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिविरुद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना तामिल के ही निर्णय व डिकी पारित की है तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होने पर निर्णय की जानकारी हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 07.07.2022 को किया, जो नकल तैयार होकर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को दिनांक 08.07.2022 को मिली, जिनके द्वारा पढकर सुनाये जाने पर अपीलार्थीगण को प्रथम बार आलौच्य निर्णय व डिकी की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 744/2020 गोपाराम व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री 25 अप्रैल 2022 को निरस्त जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया जाकर उस पर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनो की रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के जरिये सम्मक तामील करवाये जाने पर वे जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना जवाब एवं कांउटर क्लेम पेश किया। सहायक कलक्टर लोहावट के नवीन न्यायालय के सृजन होने से वाद पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट को स्थानांतरित हो गई, जिसकी सूचना अपीलांट्स को बखूबी थी, फिर भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार लोहावट से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स द्वारा काउंटर क्लेम के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक को आवंटित भूमि खसरा नं. 823/15 रकबा 30 में 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा है, जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक को आवंटित होने से रेस्पोडेंट संख्या एक की स्वअर्जित आराजी है, जिसमें अपीलांट्स का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट्स द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की है। कानूनन दोनो निर्णयों की पृथक-पृथक अपील ही पोषणीय है। इस कारण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील इस आधार पर भी खारिज योग्य है। तहसीलदार लोहावट द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुए सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपील बहस के समर्थन में आर.आर.डी.1983 पेज 811, 2023(1)आर.आर.टी. पेज 659, आर.आर.डी. 2020 पेज 6 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान परिशीलन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न हैं, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जबाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय लोहावट का सृजन होने पर पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट में स्थानांतरित होने के पश्चात न ही अपीलांट्स उपस्थित हुए तथा न ही उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है। विचारण न्यायालय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2022 को जमाबंदी मे दर्ज हक-हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार लोहावट से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स का उज्र है कि खसरा नं. 823/15 रकबा 30 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या एक से नौ का 1/2 हिस्सा बंट में आता है तथा वे मौके पर बंट के अनुसार काबिज काश्त है। इस संबंध में रेस्पोडेंट संख्या एक का कथन है कि उक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक की आवंटन सुदा भूमि होने से उसकी स्वअर्जित संपति है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा खसरा नं. 823/15 रकबा 30 बीघा की भूमि पुश्तैनी होने के संबंध में कोई दस्तावेज वाद स्तर एवं अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्तर पर पेश नहीं किये है तथा अपीलांट्स ने स्वयं ने काउंटर क्लेम के पद संख्या दो में स्वयं ने माना है कि उक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम आवंटित हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से पक्षकारान् के हिस्से प्रभावित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 11 अप्रैल 2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार लोहावट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर तैयार किया जाना पाया जाता है तथा प्रत्येक खातेदार के आवागमन हेतु नियमानुसार मौके पर रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 अप्रैल 2022 के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। आर. आर.डी.1983 पेज 911 में धारित किया है कि दो अलग-अलग निर्णयों के विरुद्ध अलग-अलग अपील की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के तथ्य हस्तगत अपील पर लागू होते हैं।

इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय मे उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर गुणावगुण पर अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 744/2020 गोपाराम व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री 25 अप्रैल 2022 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर